APBIL 1955

ture for 1954-55 was about Rs 21 lakhs, on the whole scheme, not only on the pay of the officers.

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know what are the reasons for compelling the officers under this Contributory Health Scheme to have treatment only of the allopathic system? Have they any choice to have ayurvedic or homoeopathic treatment; if not, why not?

Shrimati Chandrasekhar: Since the Government of India do not at present recognise any other system than the modern system, it is not allowed.

रंल दुर्घटना

#२२००. श्री रघुनाथ सिंह: क्या रहा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि २६ मार्च, १६४४ को दिल्ली से बम्बई जाने वाली पठानकोट एक्सप्रेस धॉलपुर स्टेशन पर दुर्घटना गुस्त हो गई; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या भे?

रंलबं तथा परिवहन मंत्री के सभासीचव (श्री शाहनवाज खां): (क) २९-२-४४ को सर्वरं २ वजकर १४ मिनट पर (न कि २६-२-४४ को जँसा कि प्रश्न में कहा गया हैं) ४ अप पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी दो खाली डिब्बों से टकरा गयी, जो मुख्य लाइन पर खड़ं थे। जिस समय टक्कर लगी, गाड़ी मध्य रंलवे के आगरा-भांसी सेक्शन के धॉलपुर स्टंशन पर आ रही थी। ये डिब्बे स्टंशन के अप बाहरी सिगनल ऑर अप होम सिगनल के बीच मुख्य लाइन पर पहले से खड़ं थे।

(स) रंलवे अधिकारियों ने जांच के बाद जो रिपोर्ट दी हैं उससे माल्म होता हैं कि यह दुर्घटना मुख्य लाइन पर खड़ दो माल-डिब्बों के कारण हुई। धॉलपुर स्टेशन बाई में 'शॉटिंग' के समय कुछ माल-डिब्बे मुख्य लाइन से हो कर मालगीकम की लाइन से 'ट्रान्शिप शंड लाइन' पर क्दले जा रहेथे। उस समय मालगाड़ी के दो डिब्बे मुख्य लाइन पर छूट गर्थ जिन पर किसी का ध्यान न गया।

श्री रचुनाथ सिंह : मेन लाइन पर जो डिब्बे खड़ं थे वह इस गाड़ी के आने पर हटाये क्यों नहीं गर्थे ?

श्री शाहनवाज स्वां: यह उनकी बड़ी भारी भूल हुई. जिसके लिए उनको बहुत कड़ी सजायेंदी जारही हैं।

श्री रचुनाथ सिंह: इसके लिए जिम्मीदार कॉन हें?

श्री राष्ट्रमदास स्तां: एक तो जो गृह्स ट्रंन का गार्ड था वह जिम्मेवार ठहराया गया। उसको नॉकरी से हटा दिया गया। जो पाइंट्स मैंन था उसके साथ भी एंसी ही कार्रवाई की गयी हैं। ब्रंक्स मेन ऑर गृह्स ट्रंन के ड्राइवर को भी सजा दी गयी हैं। यह लोग भी जिम्मेवार ठहराये गये थे।

श्री भूलेकर: क्या यह इसलिए किया गया.....

Mr. Speaker: It is a small matter; now, it has been finished. There is no use going deep into that.

POLISHING OF RICE

*2201. Shri Dabhi: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government have advised the Bombay State to modify the latter's restrictions over the quantity of bran permitted to be removed in the polishing of rice; and
 - (b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri M. V. Krishnappa):
(a) The proposal for the removal of bran to the extent of 62/3 per cent. in the polishing of rice was made by the Government of Bombay and it was agreed to by the Government of India.